लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालानालय (चिकित्सा शिक्षा)

6वी मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल (म0प्र0)

विज्ञापन क्रमांक/222 /स्था/राज/भर्ती पदस्थापना/संचिशि/26 भोपाल, दिनांक 01/06/2026

सहायक प्राध्यापक पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01/06/2026 से दिनांक 22/6/2026 सायं 05:00 बजे तक विभाग की वेबसाईट https://medicaleducation.mp.gov.in में भर्ती टेब में जाकर भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर दें। उपरोक्त हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (सतना, सिवनी, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली, श्योपुर, बुधनी, दमोह एवं छतरपुर) में सहायक प्राध्यापकों के वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति, साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

सहायक प्राध्यापक संवर्ग

वेतनमान – 68900-205500 सातवे वेतनमान में लेवल 11

क्र.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तयों में से मध्यप्रदेश के मूल वनवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों की संख्या
		UR	EWS	SC	ST	OBC	UR	EWS	SC	ST	OBC	LD	VH	HH	MD	
1	शरीर रचना विज्ञान(Anatomy)	2	1	3	4	4	1	1	1	2	2	-	-	-	-	21
2	शरीर रोग विभाग (Physiology)	2	1	2	2	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	15
3	जीव रसायन विज्ञान(Biochemistry)	2	1	1	2	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	13
4	भेषज विज्ञान (Pharmacology)	1	1	3	4	5	2	1	1	2	2	-	-	-	-	22
5	रोग विज्ञान (Pathology)	3	1	1	4	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	14
6	सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)	2	1	2	4	5	1	1	-	2	2	-	-	-	-	20
7	फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान (Forensic Medicine)	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	07
8	कम्युनिटी मेडिसिन (Community Medicine)	-	2	4	5	1	2	1	2	2	3	1 UR 1 OBC	-	-	-	24
9	कम्युनिटी मेडिसिन सांख्यिकी विद (Community Medicine)	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	04
10	जनरल मेडिसिन (General Medicine)	-	2	3	4	5	4	2	3	3	5	1 UR 1 OBC 1 ST	-	-	-	34

निरंतर पृ. //2//

क्र.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तयों में से मध्यप्रदेश के मूल वनवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों की संख्या
		UR	EWS	SC	ST	OBC	UR	EWS	SC	ST	OBC	LD	VH	HH	MD	
11	बाल्य एवं शिशु रोग विभाग (Peadiatrics)	1	1	1	3	3	2	1	1	1	2	1 UR	-	-	-	17
12	त्वचा रोग विभाग (Dermatology)	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	07
13	मानसिक रोग विभाग (Psyciatry)	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	04
14	जनरल सर्जरी विभाग (General Surgery)	3	3	3	4	2	4	2	3	3	5	1 UR 1 OBC 1 ST	-	-	-	35
15	अस्थि रोग विभाग (Orthopedics)	-	1	-	1	-	2	1	1	2	3	1 UR	-	-	-	12
16	कान.नाक.गला रोग विभाग (ENT)	1	-	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	11
17	नेत्ररोग विभाग (Opthalmology)	2	1	1	2	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	11
18	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग (Obs&Gyne)	4	2	2	3	2	-	1	1	1	3	1 UR 1 OBC	-	-	-	21
19	संचेतनाहर (Anesthesiyalogy)	2	3	5	5	4	4	1	2	3	2	1 UR 1 OBC 1 ST	-	-	-	34
20	विकरण निदान विभाग (Radiodignosis)	4	1	2	2	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	16
	कुल	30	26	36	55	44	28	16	20	31	41	15	-	-	-	342

नोट :-

- पदों की संख्या अधिक / कम एवं परिवर्तित की जा सकती है।
- किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे, किन्तु ऐसे पदों पर चयन हेतु पुरुष अभ्यर्थियों के प्रकरणों पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, जब संबंधित प्रवर्ग में उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हों। ऐसी दशा में उसी प्रवर्ग के पात्र पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है-:

(अ) अनिवार्य अर्हतायें:- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025" में दी गई तालिका 'क' और 'ख' के अनुसार होंगी।

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवयकताएं
सहायक प्रोफेसर	तालिका क और ख के अनुसार	(क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में विनियम 8 में निर्दिष्ट संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट – 1: सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट – 2: ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के

		समतुल्य माना जाएगा। नोट – 3: डेमॉन्स्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रोयजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा; या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। नोट 1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा की विशेषज्ञता में फ्लाइंग स्क्वाड्रन और डाइविंग एवं एस्केप ट्रेनिंग स्कूलों में क्रमशः दो वर्षों का अनुभव, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एक वर्ष के शिक्षण अनुभव (वरिष्ठ रेजिडेंट के बदले में) के बराबर माना जाएगा। (ग) कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीबीआर) पूरा करना होगा; या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेज़िडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेज़िडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो; या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।

नोट:-

1. ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का डिप्लोमेट (डीएनबी), जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा (एमसीएच/डीएम) और सुपर स्पेशियलिटी (एमएस/एमडी), परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग)NMC), नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना दिनांक (राजपत्र)02 जुलाई 2025 की सामान्य टिप्पणी कमांक 4 के अनुक्रम में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी विभागों में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 30 प्रतिशत तक गैरचिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की जा - सकती है।

उक्त प्रावधान के अंतर्गत, संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (संकाय की योग्यता) विनियमों में निर्दिष्ट योग्यताएँ धारित करने वाले गैर-चिकित्सक शिक्षक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्येक विभाग में गैर-चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा (30 प्रतिशत) का निर्धारण करते समय, विभाग में पहले से कार्यरत गैर-चिकित्सक शिक्षकों की संख्या को घटाकर शेष उपलब्ध पदों की गणना की जाएगी।

3. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग)NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समयसमय पर - निर्धारित सभी अर्जित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी तथाNMC द्वारा समयसमय पर जारी पात्रता संबंधी सभी - नियम एवं दिशानिर्देश यथावत् लागू होंगे।
4. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नाताकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
5. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य ।(थियों को छोडकरगैर चिकित्सा योग्यता वाले अभ्य)
6. उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
7. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित सभी अर्जित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी तथा NMC द्वारा समय-समय पर जारी पात्रता संबंधी सभी नियम एवं दिशानिर्देश यथावत् लागू होंगे।
8. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नाताकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(ब) विशेष :-

1. यदि अभ्यर्थि की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।
2. विदेशी उपाधि धारक यदि उनकी अंकसूची में पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख नही है तो वह अपने पूर्णांक एवं प्राप्तांक के संबंध में शपथ-पत्र भी संलग्न करें।
3. चयन सूची में यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो जिस अभ्यर्थी ने आंतरिक (Internal) मेरिट प्रोरेटा में अधिक अंक प्राप्त किए हों, उसे उच्च वरीयता दी जायेगी। यदि आंतरिक मेरिट प्रोरेटा के अंक भी समान हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्च वरीयता दी जायेगी।
4. यदि आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न नही किए गये हों, तो आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा। अत:अभ्यर्थी यह स्वयं सुनिश्चित करें कि वे अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शोध-पत्रों से संबंधी समस्त उपलब्ध दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना करें।
5. शैक्षणिक एवं अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा।
6. महत्वपूर्ण – यह सुनिश्चत करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को पूरा करते हैं। समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएेगी।

(द) टीप:-

1. शासन द्वारा भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदो की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार दिवस तक की जा सकेगी। बढे हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
3. किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
4. केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित हैं, वही उक्त अरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माने जायेंगे।

   अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एवं प्रचलित प्रमाण पत्र प्रस्ततु करना अनिवार्य होगा। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यथीर क्रीमीलेयर श्रेणी में नही आते हैं।
5. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रत) सेवा भर्ती नियम, 2023 के अन्तर्गत की जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त, निर्देश एवं परिपत्र लागू रहेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति, पदस्थापना तथा स्थानांनतरण संबंधी समस्त अधिाकर राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेंगे।

3. आयु सीमा -

3.1. सहायक प्राध्यापक हेतु आयु संगणना - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु दिनांक 01/01/2026 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ।

3.2. आयु की गणना हेतु अभ्यर्थी की वही जन्मतिथि मान्य होगी, जे उनकी 10वी की अंकसूची में अंतिक होगी। अत: अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का सही-सही उल्लेख करे।

3.3. अर्धवार्षिकी आयु – 65 वर्ष ।

3.4. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुडा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें।

4. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश - ऑनलाईन आवेदन शुल्क -: विभिन्न संवर्गो हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार है –

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजनों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रू. 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये मात्र)	रू. 2500/- (रूपये दो हजार पांच सौ रूपये मात्र)

5. <u>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र, ऑनलाईन अनिवार्य रूप से अपलोड करें -</u>

5.1. **आयु संबंधी प्रमाण पत्र** – केवल हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंकसूची प्रमाण पत्र / **जन्म** प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

5.2. शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र:- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियों स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5.3. संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र:- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

5.4. शोध पत्र:- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। (स्पष्ट प्रतिलिपि संलग्न न होने की परिस्थिति में शोध पत्र अमान्य किया जावेगा। अतः स्पष्ट प्रतिलिपि अपलोड करें।)

5.5. अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलगन करें।

5.6. जाति के प्रमाण-पत्र:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यपदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थि साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नही मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थि का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। (डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

6. अनापत्ति प्रमाण पत्र – शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7. निर्हरतायें :-

7.1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1961 (सेवा की सामान्य शर्ते) के अन्तर्गत।

7.2. विकृत होने की स्थिति में।

7.3. दुश्चरित्र होने पर।

7.4. शारीरिक दुर्वलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।

7.5. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

8. कदाचरण संवंधी मामलों में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नही किया जाएगा, जिसे शासन या स्थानीय प्राधिकरी की सेवा में कदाचरण के कारण पदच्युत किया गया हो अथवा जिसे नैतिक पतन या किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो। यदि चयन/नियुक्ति के पश्चात ऐसे तथ्य संज्ञान में आते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी का नाम चयन सूची से तत्काल विलोपित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो चुका हो, तो उसे यथाशीघ्र निरस्त करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

9. यात्रा व्यय का भुगतान:- साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

10. चयन प्रक्रिया:- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं अंतरिम प्रोरेटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।

10.1. साक्षात्कार उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के नाम ही चयन एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र अथवा अयोग्य पाए गए

अभ्यर्थियों की पृथक सूची जारी नही की जाएगी। इस संबंध मे किसी प्रकार का पत्राचार अथवा अभ्यावेदन मान्य नही होगा।

10.2. साक्षात्कार मे चयनित अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा) द्वारा पत्र के अनुसार विभाग की वेबसाईट medicaleducation.mp.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

10.3. चयन प्रकिया/प्रकाशित विज्ञप्ति मे यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान मे आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. विज्ञापन के संबंध मे आवश्यक निर्देश :-

11.1. विज्ञापन से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाऐं एवं साक्षात्कार के परिणाम संचालनालयचिकित्सा) मध्यप्रदेश की वेबसाईट (शिक्षाmedicaleducation.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जायेंगे। अतआवेदक : आवश्यक सूचनाऐं प्राप्त करने हेतुऑनलाईल आवेदन पत्र में अपना सही एवं सक्रिय ई .डी.मेल आई- तथा मोबाइल नम्बर निर्धारित स्थान पर अनिवार्यरूप से अंकित करें तथा अद्यतन जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

11.2. आवेदक विज्ञापन से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी आदान-प्रदान हेतु विज्ञापन शाखा की ई-मेल आईडी — deanrecruitment.mp@gmail.com का उपयोग करें।

11.3. आवेदन पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी तथा विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाईट https://medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे।

12. अन्य आवश्यक निर्देश -:

12.1. समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय/समय पर जारी निर्देशों-निर्णयों के अध्याधीन रहेंगी एवं उचित कारणवश किसी भी अभ्यर्थि का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर निरस्त किया जावेगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थि किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा प्रस्तुत नही कर सकेंगे।

12.2. किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

12.3. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाऐंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

12.4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

12.5. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. उक्त विज्ञापन नियुक्ति/"मध्यप्रदेश चिकित्स शिक्षा -सेवा भर्ती नियम (राजपत्रित)2023" के अन्तर्गत है।

Digitally signed by
DHANARAJU SANJEEVARAYAPPA
Date: 01-06-2026 05:57:55 (धनराजू एस.)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश